

**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/योब०/झापा०-५९/२०१५-९१३

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमंडल, राँची।

दिनांक :- १९.०७.२०१७

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (अन्य व्यय) को रु0 1083.480 लाख (दस करोड तिरासी लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-०४/योबजट-६५/२०१५-०२/स्वी० व०प० दिनांक 26.04.2017 एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/योबजट-६५/२०१५-४३/आ० व०प० दिनांक 28.04.2017।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (अन्य व्यय) के लिए कुल रु0 1083.480 लाख (दस करोड तिरासी लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-०४/योबजट-६५/२०१५-०२/स्वी० व०प० दिनांक 26.04.2017 एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/योबजट-६५/२०१५-४३/आ० व०प० दिनांक 28.04.2017 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	"2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 101-वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण उपयोजना, उप शीर्ष 54-“झारपार्क को अनुदान योजना”	79-सहायता अनुदान सामान्य इकाई	19S240601101540679	1083.480
कुल आवंटित राशि				1083.480

कुल रु0 1083.480 लाख (दस करोड तिरासी लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र आवंटित राशि की ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

2. **वर्तमान राशि 1083.480 लाख (दस करोड तिरासी लाख अड़तालीस हजार रुपये)** का आवंटन प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (अन्य व्यय) बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 101- वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण उपयोजना, उप शीर्ष 54-“झारपार्क को अनुदान योजना” विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान के अन्तर्गत 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) इकाई में विकलनीय होगा।

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा-संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निदेश के अनुसार किया जायेगा।

झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का होगा।

5. इस राशि का व्यय झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासी निकाय से स्वीकृत करने के उपरांत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा अभिलेख हेतु एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित की जाएगी।

6. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी तथा निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नियमानुसार निविदा के आधार पर किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

8. कुल राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा तथा राशि पी0एल0 खाता में संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतनद दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजूदरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक—1204 दिनांक—20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. सदस्य सिवच, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय—2561 दिनांक—17.04.1998 एवं समय—समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी। राशि की नियंत्री महालेखाकार से प्राधिकृत पत्र प्राप्त कर की जायेगी।

14. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय संगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा, जो स्वीकृत राशि के अन्तर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र समर्पित करना होगा।

15. स्वीकृत योजना सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) पर होगा।

सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन—सह—उपयोगिता प्रमाण—पत्र वन एवं पर्यावरण विभाग तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) को समर्पित की जायेगी।



17 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्ता।

विश्वासनाजन
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01 / यो0ब0 / झा0पा0—59 / 2015- 913 दिनांक :- 19.07.2017

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स), झारखण्ड, राँची / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ता।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01 / यो0ब0 / झा0पा0—59 / 2015- 913 दिनांक :- 19.07.2017

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ता।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



गोपनीय सरकार

आवंटन आदेशआरखड़ सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दरीए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-59/2015/913


दिनांक -

19-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101540679 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 54 - झारपार्क को अनुदान योजना 06 - अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	50192	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	108,348,000.00 रुपये दस करोड़ तिरयासी लाख अडतालीस हजार

State Scheme :

Central Scheme :



योग:

108,348,000.00

ब्राह्मण योग:

रुपये दस करोड़ तिरयासी लाख अडतालीस हजार

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.P&SPD/BAN/AFB/HAND